10 COURT FEE दस रुपये TEN RUPEES

10 COURT FEE दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर . केम्प उज्जैन.
R-182-I/08

(211)

प्र0क्र0- /निग0/08

रमेशचन्द्र पिता शंकरलाल गायरी
निवासी- टिडवास तह0 मल्हारगढ़ जिला
मंदसौर म0प्र0 ----- आवेदक.

विरूद्ध

1. मूलीबाई बेवा गिरधारीलाल गायरी
2. कारीबाई पिता गिरधारीलाल गायरी
3. कुशालबाई पिता गिरधारीलाल गायरी
4. हीराबाई पिता गिरधारीलाल गायरी
5. गुडडीबाई पिता गिरधारीलाल गायरी
सभी निवासीगण- ग्राम टिडवास तहसील
मल्हारगढ़ जिला मंदसौर म0प्र0
---- अनावेदकगण.

आवेदन धारा-50 म.प्र. संहिता

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के
प्र0क्र0-31/06-07/अपील रमेशचंद्र विरूद्ध मूलीबाई आदेश
दिनांक- 6-11-07 के विरूद्ध निगरानीपेश है ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर सेनिम्नवत निगरानी पेश है :-

1. यह कि, ग्राम पीपलखेड़ी तह0 मल्हारगढ़ जिला मंदसौर में गिरधारीलाल पिता श्रीभैंवरलाल गायरी के नाम से कृषिखाता होकर इनका स्वर्गवास होने पर आवेदक ने एक आवेदन- ग्राम पंचायत टिडवास तह0 मल्हारगढ़ में पेश किया कि, स्व0 गिरधारीलाल आवेदक के पिता के बड़े भाई होकर उनके कोई पुत्र नही होकर उनकी जीवन पर्यन्त आवेदक ने सेवा की होकर दत्तक रखा इसलिये वारिसा नामांतरण किया जावे। परन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत नेबिना सुनवाई के नामांतरण प्रक्रीया का पालन किये बिना मृतक गिरधारी के स्थान पर मृतक ■■■■ वारिस मूलीबाई के साथ आवेदक तथा उसकी वैध पुत्रीयों का नाम लगाया जावे परन्तु ग्राम पंचायत में एकतरफा आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटी की है

--2::

211

136

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/182/एक/2008 \ भं र भ्रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21/05/2009 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	